दिनांक - 28.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के मामले में वांछित चोर/अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी सचिन पुत्र राजकुमार उप्पल दुकान सं0-48 अनाज मंडी पूण्डीर कैथल(हरियाणा) 9254236666 ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर के द्वारा वादी की मोटर साईकिल बुलैट HR-01AT-5746 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 192/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभि0 आशीष पुत्र अनिल निवासी बाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभि0 आशीष के कब्जे से वादी की चोरी गई मो0सा0 बुलैट HR-01AT-5746 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त आशीष उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटर साईकिल कावंड य्रात्रा के दौरान 01.08.2024 तारीख को रात में मैने मधुबन पैलेस से अगले वाले कावंड शिविर देहरादून रोड से चोरी की थी। जिसे मै आज बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशीष पुत्र अनिल निवासी वाल्मीकि बस्ती जनता रोड थाना को0नगर जनपद सहारनपुर

विवरण बरामदगी:-

01 चोरी की मोटरसाइकिल बुलेट रंग काला (HR-01AT-5746)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह सिरोही, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- है0का0 610 विपिन राणा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़के को सकुशल किया गया सकुल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी श्री पहल सिंह पुत्र पिरथी निवासी ग्राम मुस्तफापुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी का नाबालिग लड़के का घर से बिना बताये कही चले जाने तथा ना मिलने के सम्बन्ध मे थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया एवं विवेचना उ0नि0 श्री आकाश कुमार द्वारा ग्रहण कर अपहर्ता/पीडित की तलाश प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर गुमशुदा की तलाश कर बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा वादी के नाबालिग लड़के उम्र करीब15 वर्ष को सकुशल बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का नाम–

1. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 532 ऋषिपाल थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 272 जोगेन्द्र थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 45 देशी शराब पाऊच महबूबा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 28.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर **अभियुक्त हिमांशु पुत्र सत्यपाल सिंह नि0 ग्राम राजपुर लतीफपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को 45 पाऊच देशी महबूबा मार्का उ0प्र0 अवैध शराब के ग्राम झाडवन बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तीतरो पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 60 Ex. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हिमांशु पुत्र सत्यपाल सिंह नि0 ग्राम राजपुर लतीफपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर उम्र करीब 30 वर्ष

विवरण बरामदगी-

45 पाऊच देशी महबूबा मार्का उत्तर प्रदेश अवैध शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री रामेश्वर सिंह थाना तीतरो जिला सहारनपुर
2. का0 2544 बोबी कुमार थाना तीतरो जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 5 घण्टे में हत्या के प्रयास में 1 वांछित अभियुक्त को किया गयागिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.08.2024 को वादी श्री अन्जु कुमार पुत्र सोमपाल नि0 ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनि0 जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई संदीप के ऊपर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रुप से घायल करना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0सं0-319/24 धारा 109/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. नीटू व 2. मोनू पुत्रगण रामसिहं के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास में वांछित **अभियुक्त मोनू पुत्र रामसिहं नि0गण ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर** को बम्बा पुलिया के पास से मात्र 5 घण्टे मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का पूर्व मे कोई आपराधिक इतिहास नही है। गिरफ्तारी व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बी.एन.एस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोनू पुत्र रामसिहं नि0गण ग्राम मोहनपुर गाडा थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपर
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपर
3. है0का0 530 अमित कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे 01 नाजायज छुरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त फैजान पुत्र अब्दुला उर्फ बाबू नि0 कैलाश विहार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को मढ तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज छुरी बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 362/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त फैजान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो को डराने/धमकाने व लोगो पर रौब जमाने के लिए अपने पास यह छुरी रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

फैजान पुत्र अब्दुला उर्फ बाबू नि0 कैलाश विहार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद नाजायज छुरी

अभियुक्त मुशर्रफ का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0 31/24 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. है0का0 96 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. हो0गा0 1432 राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः **28.08.2024**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी **अभियुक्त मुनेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामसुख पाण्डेय निवासी चौड पट्टी भरतपुर वाला थाना देवप्रयाग जनपद टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड** सम्बन्धित वाद संख्या 407/2020 मु0अ0सं0 157/2005 धारा 279/338/427 भादवि सम्बन्धित न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बेहट जिला सहारनपुर को चौड पट्टी भरतपुर, देवप्रयाग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता –

मुनेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामसुख पाण्डेय नि0 चौड पट्टी भरतपुर वाला थाना देवप्रयाग जनपद टिहरी गढवाल (उत्तराखण्ड)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. का0 1885 नितिन शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा वाहनों का अवैध रूप से कटान करते हुये 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कटी हुई गाडियो के पार्ट्स व गाडी काटने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जनता रोड, पार्लेजी बिस्कुट फैक्ट्री के पास बन्द पडे गोदाम मे कुछ लोग चोरी की कार व ट्रक काट रहे है, इस सूचना पर व0उ0नि0 श्री विवेक वैधवान मय उ0निरी0 रवि कुमार मय हमराही है0का0 113 विकास, है0का0 354 संजीव मय 953 हरेन्द्र के बताये गये स्थान पर पहुंचते तो एक व्यक्ति उक्त बन्द गोदाम मे चोरी की कार व ट्रक काट रहा है। जिनके कब्जे से रेडियेटर बडे 17, रेडियेटर छोटे 05, रिम बडे 29 रिम, रिम छोटे 18, साफ्ट 12, इंजन साफट क्रैंक 03, टायर रिम सहित 02, स्टेयरिंग 03, छोटी साफ्ट 38, सेल्फ एल्टीनेटर सेट 24, इंजन फैन प्लास्टिक के 13, हफ 10, गियर बॉक्स 09, क्रोन व्हील 02, इंजन ब्लॉक 06, डिडेक्सन 02, फ्यूल टैंक 03, एयर क्लीनर 06, ब्रेक ड्रम 26, बडी फ्यूल टंकी 05, एयर टंकी 06, साईलेंसर 01, एयर पाईप 15, ब्रेक शू बडी गाडी 80, डिफेंन्सियल ट्यूब 11, बस बॉडी 01, जैक 04, हथौडे 02, पाने 05, पाईप रिंच 01, सण्डासी 03, चाबी छोटी बडी (बोल्ट खोलने वाली) 50, गैंस सिलेण्डर आक्सीजन 04 मय नोब व पाईप व एक ग्रिरेन्डर व एक घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी 01, टायर 03, 01 चैसिसं बिना बॉडी मय 02 डेफिशियल, 03 डेफिशियल, 03 इंजन बडे बरामद हुए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण व वाहनो के अवैध कटान की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त **श्रीपाल पुत्र गोवर्धन नि0 शालीमार गार्डन बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभि0 श्रीपाल पुत्र गोवर्धन नि0 शालीमार गार्डन बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 225/2024 धारा 318(4)/317(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा बताया कि यह गोदाम मेरा ही है, इस गोदाम में मै गाडी काटने का काम करता हुँ, इस गोदाम में फाइनेन्स तथा नीलाम हुई गाडियो को इकट्ठा करके काटता हुँ तथा इसी की आड में चोरी की गाडिया, बस, ट्रक, कार आदि को सस्ते दामों में खरीद कर काटने का काम करता है, जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

श्रीपाल पुत्र गोवर्धन नि0 शालीमार गार्डन बेहट रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

विवरण बरामदगी:-

- 01 बस बॉडी, 03 इंजन बडे
- 17 रेडियेटर बडे व 05 रेडियेटर छोटे,29 रिम बडे, 18 रिम छोटे, 03 टायर, 02 टायर रिम सहित, 12 इंजन साफ्ट, 03 इंजन साफ्ट क्रैंक, 03 स्टेयरिंग, 38 छोटी साफ्ट, 10 हफ, 09 गियर बॉक्स, क्रोन व्हील 02, 06 जन ब्लॉक, 02 डिडेक्सन, 24 सेल्फ एल्टीनेटर सेट, 13 इंजन फैन प्लास्टिक के, 03 फ्यूल टैंक, 05 बडी फ्यूल टंकी, 06 एयर क्लीनर, 26 ब्रेक ड्रम, 06 एयर टंकी, 01 साईलेंसर, 15 एयर पाईप, 80 ब्रेक शू बडी गाडी, 01 चैसिसं बिना बॉडी मय 02 डेफिशियल, 03 डेफिशियल, 11 डिफेंन्सियल ट्यूब
- इंजन खोलने के टूल (जैक 04, हथौडे 02, पाने 05, पाईप रिंच 01, सण्डासी 03, चाबी छोटी बडी (बोल्ट खोलने वाली) 50, गैंस सिलेण्डर आक्सीजन 04 मय नोब व पाईप व एक ग्रिरेन्डर व एक घरेलू सिलेण्डर भारत कम्पनी 01)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

- उ0नि0 श्री विवेक वैधवान, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- उ0नि0 श्री रवि थाना जनकपुरी, स0पुर।
- है0का0 953 हरेन्द्र, थाना जनकपुरी स0पुर।
- है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- है0कां0 354 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 28-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-05, सहारनपुर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त को 09 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 20.05.2015 को वादी श्री सुभाष सिंह थाना नांगल की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1- टिंकू पुत्र राजपाल, 2- श्रवण पुत्र राजपाल, 3- अंकित उर्फ मोनी पुत्र प्रमील नि0 बढेडी थाना नांगल जनपद सहारनपुर व 4- भूरा उर्फ सुनील पुत्र गोपीचन्द नि0 नासिरपुर डिगोली थाना नांगल जनपद सहारनपुर द्वारा अपने आर्थिक लाभ हेतु संगठित गिरोह बनाकर अपराध कारित करने की सूचना पर मु0अ0स0-123/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नांगल पर पंजीकृत कराया गया । उपरोक्त अभियोग एसटी नं0-1681/2021 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-05 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-05, सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 28.08.2024 को अभियुक्त 1-अंकित उर्फ मोनी पुत्र प्रमील उपरोक्त को मु0अ0स0-123/2015 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए 09 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोट - तीन अभियुक्तों की फाइल मा0न्यायालय में विचाराधीन चल रही है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सिंह चैहान
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री विजय प्रकाश सिंह
पैरोकार- का0 1860 दुष्यन्त कुमार थाना नागल सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 28.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण को 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 10.07.2018 को वादी अजमा खानम पुत्री दिलशाद निवासी आजाद कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर के द्वारा सूचना दी अभियुक्त 1.इन्तजार पुत्र अब्दुल अजीज 2.श्रीमति फरमाना पत्नि इन्तजार 3.शादाब पुत्र इन्तजार 4.शहनवाज पुत्र मासूम निवासीगण ग्राम छछरौली थाना नानौता जनपद सहारनपुर 5.जाहिद पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली 6.इलताफ खान पुत्र असदखान 7.नजाकतखान पुत्र महमूद निवासी पतला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा अभियुक्त इन्तजार द्वारा वादिया के परिजनों को विश्वास में लेकर मेडिकल की पढाई हेतु एडमिशन कराने के बहाने नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करना व गर्भवती होने पर अबोर्शन कराना व सभी अभियुक्तगणो द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट करना व जबरन अपहरण करने का प्रयास करना व नाक की हडडी तोड देना व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0सं0 328/2018 धारा 376,504,506,316,307,326, 364,511,323 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 218/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एफटीसी-01, सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 28.8.2024 को अभियुक्त इन्तजार पुत्र अब्दुल को मु0अ0सं0 328/2018 धारा 376,504,506 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अभियुक्त को 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी
विवेचक उप निरी0 श्री कबूल सिंह
पैराकार का0 1600 मनोज आर्य

नोट- 06 अभियुक्तो की फाइल विचाराधीन चल रही है।